कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को मिली बडी सफलता:
कुख्यात वन्यजीव शिकारी अजीत पारधी निवासी कटनी म.प्र. की जमानत निरस्त: महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाया जायेगा।

प्रेस विज्ञप्ती (**42/26,** दिनांक **13.07.2026)**

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के रूखड़ परिक्षेत्र (बफर) में वर्ष 2013 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) की विभित्र धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1216/04 दिनांक 06.02.2013 पंजीबध्द किया गया था। वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर जिसकी विवेचना स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई के द्वारा की जा रही है। जिसमें आज दिनांक तक स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकरण में 11 वर्षों से फरार आरोपी अजीत पारधी को दिनांक 18.07.2024 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कडी मेहनत के बाद जिला बालाघाट से गिरफ्तार किया था। उक्त आरोपी वन्यजीव बाघ व पेंगोलिन के शिकार व तस्करी में आदतन आरोपी है। जिसके विरूद्ध सीबीआई अपराध न. आर. सी. 57 बी 2009 ई 0004 वर्ष 2009, नागपुर बाघ शिकार पीओआर न. 32/13 दि 08.06.2013 उमरेड, नागपुर वनमंडल पीओआर न. 1/23 दि. 18.09.2013. उमरेड करंडता अभ्यारण पीओआर न 1615/20 दि. 20.10.2013 एवं चादा वनमंडल, चन्द्रपुर पीओआर न. 8893/2025 प्रकरण दर्ज है।

आरोपी अजीत को विशेष न्यायालय जबलपुर से सशर्त जमानत मिली थी। एसटीएसएफ द्वारा उस पर लगातार निगरानी की जा रही थी। जमानत पर रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद ही आरोपी अजीत दिनांक 25 जनवरी, 2025 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन्यजीव बाघ के शिकार प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण की विवेचना में एसटीएसएफ द्वारा चन्द्रपुर वन विभाग को सहायता प्रदान की गई थी। तद्समय से आरोपी अजीत जिला जेल चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर की ओर से माननीय न्यायालय में आरोपी की जमानत निरस्त करने का आवेदन वर्ष 2025 में ही कर दिया गया था। एसटीएसएफ एवं लोक अभियोजन अधिकारी के सारगर्भित तर्को एवं प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर ने माना कि ''आरोपी जमानत पर रहने योग्य नहीं है। अतः आरोपी को दी गई **जमानत एवं बंधपत्र निरस्त** किए जाते हैं।'' माननीय न्यायालय में आरोपी अजीत की उपस्थिति हेतु प्रोडक्शन वारंट जारी किया जावेगा। यह वन्यजीव संबंधी प्रदेश का विरला प्रकरण है जिसमें माननीय न्यायालय ने बीएनएसएस 2023 की धारा 480 के तहत जांच एजेन्सी के आवेदन पर जमानत प्राप्त आरोपी के जमानत और बंधपत्र को निरस्त किया गया है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष-एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल